GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COAL

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.1781
TO BE ANSWERED ON 21.09.2020

Increase in the Price of Coal

1781. SHRI KRUPAL BALAJI TUMANE:

Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) whether the Government has increased the coal prices;

(b) if so, the reasons for increasing the prices of coal during the COVID-19 pandemic and the lockdown;

(c) whether the prices of electricity, cement and other items have increased due to increase in the coal prices;

(d) if so, whether the Government proposes to retract the increase in coal prices in view of the possibility of adverse impact of the same on the public; and

(e) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, COAL AND MINES

(SHRI PRALHAD JOSHI)

(a): Pursuant to Colliery Control Order, 2000 dated 01.01.2000, coal prices have already been decontrolled. Consequently, coal companies are empowered to take decisions regarding pricing of coal. The Government does not play any role in it. Further, Coal India Limited has not increased its coal prices during the COVID-19 pandemic and the lockdown.

(b)to (e) : Not applicable in view of part (a) above.

* * * *

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1781

जिसका उत्तर 21 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

कोयले के मूल्य में वृद्धि

1781. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयले के मूल्य में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के दौरान कोयले के मूल्य में वृद्धि किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोयले के मूल्य में वृद्धि के कारण विद्युत, सीमेंट और अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जनसाधारण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव की संभावना के मद्देनजर कोयले के मूल्य में वृद्धि को वापस लेने का है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 दिनांक 01.01.2000 के अनुसरण में, कोयला मूल्यों को पहले ही नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। तत्पश्चात कोयला कंपनियां कोयले के मूल्य निर्धारण के संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिकार प्राप्त हैं। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। इसके अलावा, कोल इंडिया लिमिटेड ने कोविड-19 महामारी तथा लॉकडाऊन के दौरान अपने कोयला मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की है।

(ख) से (ड.) : उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

*****